न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 140/2017

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. पुखराज पुत्र रामाराम		सरकार जरिये तहसीलदार सुमेरपुर
2. नारायण पुत्र रामाराम जातिगण कुम्हार निवासीगण खिवान्दी तहसील सुमेरपुर		

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री दीपाराम परमार, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट्स
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः–22/3/18

अपीलान्ट की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रकरण संख्या 926/2016 में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 25/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2017 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि पटवारी हल्का खिवान्दी की रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अपीलाण्ट्स के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज कर ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 844 रकबा 0.04 बीघा बंजर की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण मानते हुए नोटिस जारी किया। समस्त अपीलाण्ट्स के नाम संयुक्त रूप से नोटिस जारी किया, जबकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धान्त है कि प्रत्येक पक्षकार को व्यक्तिशः नोटिस जारी किया जाना आज्ञापक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को बिना सुनवाई का अवसर दिये जुर्माना आरोपित किया एवं आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही पश्चातवर्ती अतिक्रमण मानते हुए अपीलाण्ट्स को तीन माह के सिविल कारावास के दण्ड से दण्डित किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना कोई जांच किये जैर अपील आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त भूमि पर अपीलाण्ट्स का पश्चातवर्ती अतिक्रमण माना, किन्तु पश्चातवर्ती अतिक्रमण को साबित करने हेतु पुरानी पत्रावली, खसरा गिरदावरी, खसरा परिवर्तनशील आदि की प्रतियां बतौर साक्ष्य प्रस्तुत नही की तथा न ही ऐसी कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिससे अपीलाण्ट्स का कब्जा साबित होता हो। खसरा नम्बर 844 की भूमि, जिसके भाग पर अपीलाण्ट का कब्जा बताया गया है, उस सम्पूर्ण भूमि में आबादी बस चुकी है, लोगों के पक्के मकानात स्थित है, जिसमें विद्युत व पानी के कनेक्शन लिये गए है। इस प्रकार प्रकरण नियमितिकरण योग्य था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध है। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील प्रकरण में अपनाई गई प्रक्रिया की कोई समीक्षा नही की तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय बहाल रखा। इससे व्यथित होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी पाली

यह अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट अपने परिवार में कमाने वाला अकेला व्यक्ति है, जिसे निरूद्ध रखा जाता है, तो उसके परिवार की दुर्दशा हो जायेगी। अतः प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अपील स्वीकार करावे एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील आदेश को अपास्त करावे।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 827 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म बा0सो0 की भूमि राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। चूंकि अपीलाण्ट द्वारा किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमण की श्रेणी में परिलक्षित होने के कारण अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही विधि सम्मत प्रक्रिया अपनाते हुए की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया, पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम खिवान्दी के खसरा नम्बर 827 रकबा 0.04 हैक्टेयर किस्म बा.सो. की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी खाते में दर्ज है। पटवारी हल्का खिवान्दी द्वारा तहसीलदार सुमेरपुर के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि पुखराज, नारायण पि0 रामाराम द्वारा उपरोक्त भूमि पर कब्जा किया है, इस पर तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर करते हुए दिनांक 16.09.2016 की तारीख पेशी नियत की। उक्त आदेश की पालना में जो नोटिस जारी किया गया, वह अपीलाण्ट से व्यक्तिशः तामील करवाया गया है, जिसे विधिवत तामील मानते हुए दो बार पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिये जाने के पश्चात जैर अपील आदेश के जरिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को उक्त भूमि से बेदखल करने एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुए तीन माह के सिविल कारावास से दण्डित किया। अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान किया था, किन्तु अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष सम्यक रूप से उपस्थित ही नही हुआ तथा न ही किसी प्रकार से जवाब अथवा दस्तावेज आदि प्रस्तुत किये। प्रकरण का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि अपीलाण्ट द्वारा राजकीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटी नही पाई जाती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा प्रकरण संख्या 926/2016 में तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27.12.2016 तथा न्यायालय जिला कलक्टर, पाली द्वारा राजस्व अपील संख्या 25/2017 में पारित निर्णय दिनांक 09.03.2017 को यथावत रखा जाता है। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 22/3/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 22/3/18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली